

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- 1.अपील संख्या – 1654 / 2011 / पाली  
2.अपील संख्या – 1655 / 2011 / पाली  
3.अपील संख्या – 1656 / 2011 / पाली  
4.अपील संख्या – 1657 / 2011 / पाली  
5.अपील संख्या – 1658 / 2011 / पाली  
6.अपील संख्या – 1659 / 2011 / पाली  
7.अपील संख्या – 1660 / 2011 / पाली  
8.अपील संख्या – 1661 / 2011 / पाली

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन, पाली

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स अंजली एण्टरप्राइजेज,  
सोजतस्टी, पाली

प्रत्यर्थी

- 9.अपील संख्या – 461 / 2013 / पाली  
मैसर्स अंजली एण्टरप्राइजेज,  
सोजतस्टी, पाली

अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन, पाली

प्रत्यर्थी

बनाम

।  
एकलपीठ  
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थितः

श्री एन.के.बैद

उप राजकीय अभिभाषक

श्री अशोक शर्मा

सी.ए.

निर्णय दिनांक : 28.02.2014

विभाग की ओर से

व्यवहारी की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, पाली (जिसे आगे “कर निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा उपरोक्त 9 अपीलें उपाय कुत(अपील्स)द्वितीय वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 6,27,26, एवं 23 / सीएसटी / पाली / 09–10 एवं अपील संख्या 24,25, 01 एवं 22 / आरवेट / पाली / 09–10 पारित संयुक्त आदेश दिनांक 21.01.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। जिनमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 24, 25(1), 58 एवं 55 तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 के तहत निर्धारण वर्ष 2006–07, 07'08 एवं 08–09 के लिये पारित क्रमशः निर्धारण आदेश दिनांक 23.03.2009, 01.05.2009 एवं 02.03.2009 के जरिये निम्न तालिका के अनुसार कायम की गयी मांग राशियों को अपास्त कर, अपीलें आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरणों को अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया गया।



-2-अपील संख्या – 1654 से 1661/2011/पाली एवं 461/2013/पाली

है। उपरोक्त 9 अपीलों में विवादित निहित बिन्दु एक ही है तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी एक ही है, इसलिए इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियों प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रूप से रखी जाये :—

अपील संख्या.	अवधि	कर नि.आ.	कर	ब्याज	शास्ति
1654 / 11सीएसटी	06–07	23.3.09	125312	8072	2520
1655 / 11सीएसटी	1.4.08 से 31.12.08 07–08	1.5.09	392223	13954	740
1656 / 11आरवेट	1.4.08 से 31.12.08 07–08	1.5.09	3920	392	8580
1657 / 11आरवेट	तृतीय तिमाही 08–09	2.3.09	128610	—	—
1658 / 11 आरवेट	प्रथम तिमाही 08–09	1.5.09	688	103	1436
1659 / 11 सीएसटी	प्रथम तिमाही 08–09	1.5.09	10842	960	2168
1660 / 11 आरवेट	07–08	1.5.09	6325	996	13915
1661 / 11सीएसटी	07–08	1.5.09	335083	39641	4010
461 / 13सीएसटी	08–09	6.7.2011	447759	24447	740

उक्त तालिका के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपील संख्या 1654 से 1661 / 2011 में आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों अपार्ट किया है, जिसके विरुद्ध राजस्व की ओर ये अपीलें प्रस्तुत की गई है तथा अपील संख्या 461 / 2013 के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को यथावत रखा है, जिसके विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अपील संख्या 461 / 2013 प्रस्तुत की गई है।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि व्यवहारी द्वारा मेहन्दी का विक्रय अन्तर्राज्जीय व्यापार के तहत किया गया है। उसके द्वारा आलोच्य अवधियों में उसके द्वारा मेहन्दी की गई बिकी को केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम की धारा 8(5) के तहत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(14)एफ.डी / टैक्स / डिवी. / -98-34 दिनांक 17.7.98 के तहत कर मुक्त मानते हुए कर जमा नहीं कराया गया है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.12(22)एफ.डी / टैक्स 10-180 दिनांक 9.3.2010 के द्वारा मेहन्दी कोण को कर मुक्त किया गया है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 9.3.2010 के पूर्व मेहन्दी की की गई बिकी को कर योग्य मानते हुए उपरोक्त तालिका के अनुसार कर, ब्याज एवं शास्तियों आरोपित की है। उक्त आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष व्यवहारी द्वारा अपीले प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपील संख्या 1654 से 1661 / 2011 में आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों को

-3-अपील संख्या – 1654 से 1661/2011/पाली एवं 461/2013/पाली  
अपास्त किया है,जिसके विरुद्ध राजस्व की ओर से. अपीलें प्रस्तुत की गई है किन्तु  
अपील संख्या 461/2013 में आरोपित कर,ब्याज एवं शास्ति को यथावत रखा है,जिसके  
स्थिरान्वयन व्यवहारी की ओर से अपील संख्या 461/2013 प्रस्तुत की गई है।

राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक,ने कथन किया कि व्यवहारी  
द्वारा आलोच्य अवधियों में कर योग्य मेहन्दी कोण के कथित सेम्प्ल बोक्सेज की बिकी  
की गई,जिसका जमा खर्च उसके द्वारा अपनी लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया,जिससे  
स्पष्ट है कि उसके द्वारा करवंचना का प्रयास किया गया है। उनका कथन है कि  
अधिनियम की अनुसूची प्रथम में Mehandi in all form को कर मुक्त नहीं किया  
गया है। उनका कथन है कि अधिसूचना क्रमांक एफ.12(22)एफ.डी./टैक्स 10-180  
दिनांक 9.3.2010 के मददेनजर विधायिका की स्पष्ट मंशा है कि मेहन्दी को दिनांक  
9.3.2010 से कर मुक्त है उससे पूर्व राज्य में मेहन्दी कोण कर योग्य वस्तु थी।  
अधिसूचना क्रमांक एफ.12(22)एफ.डी./टैक्स 10-180 दिनांक 9.3.2010 इस प्रकार  
है :–

"S..No.23. Kumkum, Bindi,Alta & Sindur,Hahawar, Nehandi leaves  
and its powder, Kajal, surma, hair pind, hair band, hair clip(other than that  
of precious metals)rubber band,safety pin, Chutila.


S.No. 108-Mehandi cone."

उनका कथन है कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8(5) के अन्तर्गत  
जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(14)एफ.डी./टैक्स /डिवी./-98-34 दिनांक 17.7.98 के  
द्वारा मेहन्दी की अन्तर्राज्जीय बिकी को कर मुक्त किया गया है। उनका कथन है कि  
व्यवहारी द्वारा राज्य में वितरित किये गये मेहन्दी के “फी सेम्प्ल” को कर निर्धारण  
अधिकारी द्वारा राज्य के भीतर उचन्ती बिकी मानते हुए करारोपण करने के साथ ही  
ब्याज एवं शास्तियों आरोपित की गई है,जो सर्वथा उचित है। उनका कथन है कि  
विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील संख्या 1654 से 1661/2011 में आरोपित  
कर,ब्याज एवं शास्तियों को अपास्त किया है,जो अनुचित है। उनका कथन है कि  
अपील संख्या 461/2013 के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक  
10.1.2013 को उचित बताते हुए अपील संख्या 461/2013 को अस्वीकार कर अपील  
संख्या 1654 से 1661/2011 को स्वीकार करने का निवेदन किया।

व्यवहारी की ओर से विद्वान श्री अशोक शर्मा सी.ए. ने कर निर्धारण अधिकारी  
द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों को अविधिक,नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध  
होने का तर्क दिया। उनका कथन है कि हस्तगत अपीलों में मुख्य विवादित मुद्दा  
मेहन्दी पाउडर को यदि पानी में मिलाकर पेस्ट फार्म में पैकिंग करके  
जाये तो क्या वह भिन्न वाणिज्यिक वस्तु (Different and Commercial

Distinct Commodity) होगी या नहीं तथा इसी क्रम में दूसरा मुख्य बिन्दु यह है कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(5) के तहत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(14)एफ.डी / टैक्स / डिवी. / -98-34 दिनांक 17.7.98 की वैधता को भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। उनका कथन है कि व्यवहारी पंजीकृत व्यवहारी है तथा उसके द्वारा मेहन्दी पाउडर में पानी व कुछ preservastove मिलाकर मेहन्दी के पेस्ट को कोण पैकिंग में तैयार कर पैक करके बेचा जाता है तथा व्यवहारी द्वारा समस्त बिक्री केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत की है तथा राज्य में बिक्री शून्य है। उनका कथन है कि मेहन्दी एक प्राकृतिक कृषि उत्पाद है तथा मेहन्दी का प्रयोग भारतीय संस्कृति में महिलाएँ शुभ कार्यों में सुहाग के प्रतीक के रूप में साधारणतया प्रयुक्त करती है इसी कारणवश मेहन्दी को राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ से ही कर मुक्त किया हुआ है। उनका कथन है कि मेहन्दी पाउडर का उपयोग तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि उसमें पानी व अन्य पदार्थ डालकर उसे पेस्ट नहीं बनाया जायेगा। उनका कथन है कि समय परिवर्तन से एवं सुविधाजनक उपयोग के लिए वर्तमान समय में मेहन्दी की पेस्ट बनाकर सुविधाजनक कोण पैकिंग में करके बेचा जा रहा है, उक्त मेहन्दी की पैकिंग कर देने मात्र से मेहन्दी के प्राकृतिक गुणों में कोई अन्तर नहीं होता है। उनका कथन है कि अधिनियम के तहत अनुसूची प्रथम में संशोधन करते हुए मेहन्दी कोण को भी दिनांक 9.3.2010 के द्वारा कर मुक्ति प्रदान कर अलगी मंशा जाहिर की है कि “कौण” फार्म मेहन्दी की ही एक श्रेणी है, अतः कर मुक्त है। उन्होंने अपीलीय स्तर पर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए कथन किया कि मेहन्दी पाउडर में पानी एवं अन्य मिलाकर पेस्ट बनाने का प्रोसेस निर्माण प्रक्रिया नहीं है तथा यह Different and Distinct Commodity नहीं है वरन् मेहन्दी ही है तथा यह प्रक्रिया सिर्फ सुविधाजनक उपयोग करने की पैकिंग मात्र है, ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति अविधिक है, जिसको विस्तृत विश्लेषण के पश्चात अपीलीय अधिकारी द्वारा अपारत किया है, जो पूर्णतः विधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने एवं व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड, अधिसूचनाओं एवं बहस के दौरान बताये गये न्यायिक दृष्टान्तों पर सम्मान अध्ययन किया गया। प्रकरणों में निर्णय हेतु विचाराधीन प्रश्न यह है कि क्या मेहन्दी कोण, मेहन्दी पाउडर व मेहन्दी पत्ते से भिन्न अलग व्यवसायिक कर योग्य वस्तु है या नहीं? किसी विधायिका द्वारा किसी वस्तु को कर मुक्त करने पर उसे वेट अधिनियम की अनुसूची-प्रथम में प्रदर्शित किया जाता है। वेट अधिनियम की अनुसूची-प्रथम के अनुसार मेहन्दी पत्ता एवं



मेहन्दी पाउडर कर मुक्त वस्तु की श्रेणी में रखा गया है। अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(22)एफ.डी / टैक्स 10—180 दिनांक 9.3.2010 इस प्रकार है :—


"S..No.23. Kumkum, Bindi, Alta & Sindur, Hahawar, Nehandi leaves and its powder, Kajal, surma, hair pind, hair band, hair clip(other than that of precious metals)rubber band,safety pin, Chutila.

S.No. 108-Mehandi cone."

वैट अधिनियम की प्रथम अनुसूची में Mehandi in all form को कर मुक्त नहीं किया गया है। उपरोक्त अधिसूचना के मद्देनजर विधायिका की स्पष्ट मन्शा है कि मेहन्दी कोण दिनांक 9.3.1020 से कर मुक्त है, उससे पूर्व राज्य में मेहन्दी कोण कर योग्य वस्तु थी। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8(5) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(14)एफ.डी / टैक्स / डिवी./—98—34 दिनांक 17.7.98 के द्वारा मेहन्दी की अन्तर्राज्जीय बिक्री को कर मुक्त किया गया है। व्यवहारी का यह कथन कि मेहन्दी कोण, मेहन्दी पाउडर व मेहन्दी पत्ते से अलग commercial commodity नहीं है, उचित नहीं है, विधायिका के द्वारा निर्धारित कर मुक्त अधिसूचना दिनांक 9.3.2010 के मद्देनजर उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि मेहन्दी कोण को कर मुक्त करने की विधायिका की मंशा होती तो वह अनुसूची प्रथम में मेहन्दी पत्ता, मेहन्दी पाउडर को अनुसूची प्रथम के क्रमांक 23 पर मेहन्दी कोण को सम्मिलित करते हुए Mehandi in all form अंकित करती, परन्तु विधायिका ने मेहन्दी कोण को दिनांक 9.3.2010 से कर मुक्त किया है, इसलिए इससे पहले यह राज्य में कर योग्य वस्तु थी। मेहन्दी कोण, मेहन्दी पाउडर और मेहन्दी पत्तासे अलग वाणिज्यिक वस्तु है, क्योंकि इस निर्माण में सेन्स व प्रिजीवेटिव डालकर अलग से एक व्यवसायिक वस्तु तैयार की जाती है, जो बाजार में मेहन्दी कोण के नाम से बिकती है, कोई भी व्यापारी मेहन्दी पाउडर व मेहन्दी पत्ता मांगने पर खरीदार को मेहन्दी कोण नहीं देगा।

प्रकरणों के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 1654 से 1661/2011 स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2011 को अपारत करते हुए अपीलें स्वीकार की जाती है तथा व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 461/2013 में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2013 को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(सुनील शर्मा)  
सदस्य